इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 494] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2022—भाद्र 24, शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक 15288-मप्रविस-15-विधान-2022.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) जो विधान सभा में दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२२

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

धारा १३ का संशोधन २. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) की धारा १३ में, उपधारा (२) में, शब्द

> "वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा", के स्थान पर, शब्द "वह प्रथम अपराध की दशा में, दस हजार रुपए तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, बीस हजार रुपए की शास्ति से दण्डनीय होगा" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कारबार करने में आसानी (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) एक महत्वपूर्ण कारक है, जो राष्ट्र एवं राज्य के शीघ्र आर्थिक विकास में सहायता करता है. इस दृष्टि से, ऐसे कृत्यों को, जिनमें केवल वित्तीय हानियां अंतर्वलित हैं, अपराधमुक्त होना चाहिए. अतएव, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्र. १३ सन् १९८४) की धारा १३ (२) को संशोधित करना प्रस्तावित किया जा रहा है, जिससे कि कारावास के दण्ड को हटा दिया जाए और यदि कोई व्यक्ति लेखापुस्तकें, अभिलेख, घोषणा, विवरणियां या अधिनियम द्वारा यथाअपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखने या उपलब्ध नहीं कराने की दशा में केवल शास्ति का दण्ड प्रस्तावित किया गया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ८ सितम्बर, २०२२

डॉ. कुँवर विजय शाह
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.